दृष्टि बाधित बच्चों का समायोजन

अंजू तिवारी
शोध छात्रा
ओ पी जे यस यूनिवर्सिटी, चूरू , राजस्थान

विशिष्ट शिक्षा का अर्थ – विशिष्ट शब्द का अर्थ अलग –अलग व्यक्ति अलग –अलग प्रकार से व्यक्त करते है । प्रतिभावान को कुछ सृजनात्मक बालकों के लिए, परन्तु ऐसा नहीं है। विशिष्ट का अर्थ है सामान्य बालक से भिन्नता रखने वाला बालक विशिष्ट बालक की परिभाषा में ऐसा कहा गया है कि जो बालक अन्य बालकों से अन्तर रखते है वे असमान्य रूप से विशिष्टता के अर्थ में परिभाषित होते हैं। जैसे कि कहा भी गया है कि –

1. **हेवेट तथा फोरनेस के अनुसार –** ''विशिष्ट ऐसा व्यक्ति होता है जिसकी शारीरिक, मानसिक बुद्धि, इन्द्रियॉ , माँसपेसियाँ तथा क्षमताएँ विचित्र हों अर्थात सामान्यतया ऐसे गुण दुलर्भ हों ऐसी क्षमताएँ उसकी प्रवृत्ति तथा कार्यों के स्तर में भी हो सकती है।''
2. **किर्क के शब्दों में** –''विशिष्ट बालक मानसिक, शारीरिक, तथा सामाजिक गुणों में सामान्य बालकों से भिन्न होता है उसकी भिन्नता कुछ ऐसी सीमा तक होती है कि उसे स्कूल के सामान्य कार्यों में तथा विशिष्ट सेवाओं में परिर्वतन की आश्यकता होती है ऐसे बालकों के लिए कुछ, अतिरिक्त अनुदेश भी चाहिए ऐसी दशा में उनकी सामर्थ्य का सामान्य बालकों की अपेक्षा अधिक विकास हो सकता है।''

   इस प्रकार कहा जा सकता है कि जो बच्चे सामान्य बालकों से भिन्न होते है और उन्हें समाज में समायोजन करने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है

दृष्टि बाधित बालकों का अर्थ

आँखों से अंधे अथार्त चक्षुहीन बालकों को विकलांग स्थिति में सर्वाधिक खराब स्थिति का माना जाता है । ऐसे बालक अन्य विकलांग बालकों की तुलना में अधिक पराश्रित होते हैं , अथार्त दूसरों पर ज्यादा निर्भर करते है। परन्तु आज ऐसी स्थिति नहीं है उनके लिए सरकार

ने स्वयं निजी संस्थाओं ने पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध कराई हैं, जैसे– **दृष्टि बाधितों के लिए राष्ट्रीय संस्थान, देहरादून (NIVH) में**। प्रमुख रूप से ऐसे बालक दो प्रकार के होते हैं–

1. **नेत्रहीन बालक** – ऐसे बालक जो जन्म से या बाल्यावस्था में पूर्णतः अंधे हो जाते हैं, नेत्रहीन कहलाते हैं। इन्हें बिल्कुल दिखाई नहीं देता हैं।
2. **दुर्बल दृष्टि वाले बालक –** दूसरे दृष्टिहीन बालक वे होते हैं जिनकी दृष्टि कमजोर होती हैं , इनमें से कुछ बालकों के पास की दृष्टि और कुछ बालकों की दूर की दृष्टि दुर्बल होती हैं तथा कुछ की निकट दृष्टि एवं दूर की दृष्टि दोनों कमजोर होती हैं ऐसे में कमजोर दृष्टि वाले बालकों की दृष्टि को ठीक कराया जा सकता हैं। जैसे – चश्में का प्रयोग **विटामिन 'ए'** की मात्रा अधिक देकर इन बालकों की दृष्टि को ठीक किया जा सकता हैं।

विशेष आवश्यकताएँ एवं समस्याएँ

विद्यालयों में शिक्षा की दृष्टि से दृष्टि दोषों से युक्त बालकों की प्रमुख रूप से निम्न आवश्यकता एवं समस्याएँ हो सकती हैं।

1. देखने में असुविधा के कारण इन्हें चलने –फिरने, उठने–बैठने अपनी दिनचर्या संबंधी कार्यों को करने, विद्यालय आने–जाने और उसकी गतिविधियों में भाग लेने में असुविधा होती हैं।
2. ज्ञान इंन्द्रियों से कुछ महत्वपूर्ण इन्द्रियों के दोषपूर्ण होने के कारण उन्हें ज्ञान ग्रहण करने में काफी असुविधा होती हैं।
3. अपनी विकलांगता के कारण वे हीनता की भावना से ग्रस्त होकर मनोविज्ञानिक समस्याओं के शिकार होने के खतरा झेलते हैं।
4. उन्हें अपने दृष्टि दोषों के कारण कुछ विशेष उपकरणों सामाग्री एवं सहायकों की आवश्यकता होती है जिससें वे अपने प्राकृतिक एवं सामाजिक परिवेश तथा शिक्षा व्यवस्था के साथ उचित समायोजन कर सकें।

5. दृष्टि दोष संबंधी शारीरिक अक्षमता उन्हें सामाजिक कार्यों में भाग लेने, खेलने –कूदने, मित्र बनाने में तथा विद्यालय की पाठ्यांतर क्रियाओं और अन्य गतिविधियों में भाग लेने से वंचित कर उनके उचित सामाजिक एवं संवेगात्मक समायोजन में बाधक होती हैं।

दृष्टि दोष से युक्त बालकों की शिक्षा

समाज और जीवन में समायोजन के लिए उपयुक्त व्यावसायिक शिक्षा दी जाये जैसे– संगीत या कोई हस्तकला। प्रायः अन्धे व्यक्ति संगीत में बहुत कुशल होते हैं । आजकल उनके लिए विशेष प्रकार की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की गई जिनमें ब्रेल (Braille) प्रणाली से शिक्षा दी जाती हैं। जो बालक पूरी तरह अंधे या काफी अधिक अंधे नहीं होते बल्कि जिनकी दृष्टि कमजोर या किसी और दोष जैसे रंग संबंधी अंधापन (Colour Blindness), दृष्टि एकाग्रता संबंधी दोष आदि से युक्त होती है उनकी शिक्षा प्रायः सामान्य विद्यालयों में सामान्य बालकों के साथ ही संपन्न होती हैं उनके लिए सामान्य बालकों का पाठ्यक्रम होता हैं और उनको वैसे ही अधिगम अनुभव देने का प्रयत्न किया जाता हैं। इन्हें समायोजित होने तथा शिक्षा प्राप्त करने में कुछ निम्न बातों पर ध्यान देना उपयोगी सिद्ध होता हैं।

- इन्हें इनके दृष्टि दोषों से मुक्त कराने के उपाय किए जाने चाहिएँ। इनकी आँखो का परीक्षण कराके उपयुक्त लैंस युक्त ऐनकों का प्रयोग कराया जाना चाहिए ताकि इनकों दृष्टि की वजह से विशेष असुविधा का सामना ना करना पड़े।
- इस प्रकार के लैंस अेनक आदि साधनों के उपयोग की इन्हें आदत डालने में सहायता करनी चाहिए। इनके लिए ऐसी क्रियाओं का आयोजन नहीं किया जाना चाहिए, जिनमें इनके ये कृत्रिम साधन कुछ बाधक बनते हैं। अपने उपकरणों को सावधानी से प्रयोग करने का भी इन्हें अभ्यास कराना चाहिए।

दृष्टि बाधित विद्यार्थियों हेतु अनुदेशनात्मक विधियाँ

दृष्टि बाधित बालकों हेतु निम्नांकित विधियाँ हैः– (1) जब बालक को बुलायें तो उनका नाम लेकर पुकारें। (2) बालकों से सीधें बात करें। (3) बालक के चेहरे के तरफ देख कर बातें करें तथा (4) बाधित बालकों के सहपाठियों से भी ऐसा ही करने के लिए कहें आदि।

दृष्टि दोष से युक्त बालकों का समायोजन

दृष्टि दोषों से युक्त विकलांग बालकों का समायोजन हेतू निम्न प्रकार के उपाय सुझाव के रूप में प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

पूर्ण या काफी अंधे बालकों की शिक्षा का समायोजन, जो बालक सम्पूर्ण रूप से दृष्टिहीन तथा अंधे हैं अथवा लगभग ऐसी ही स्थिति में पहुँचने वाले हैं– ऐसे बालकों की शिक्षा सामान्य बालकों के साथ सामान्य विद्यालयों में नहीं हो सकती। उन्हें अंध विद्यालयों (School for Blinds) में ही प्रवेश दिलाकर शिक्षा प्राप्त कराना ठीक रहता है। इन विशेष विद्यालयों में विशेष रूप से दक्ष अध्यापक एवं कर्मचारी गण होते हैं जिन्हें अंधे बालक के समायोजन और शिक्षा हेतू उपयुक्त प्रशिक्षण मिला होता हैं इन बालकों को ब्रेल (Braille)लिपि के माध्यम से पढ़ना सिखाया जाता है इस लिपि में एक मोटे कागज पर अक्षर खुदे होते हैं इन्हें हाथ से छूकर अंधे बालक को अक्षरों तथा वर्णों इत्यादि की पहचान हो जाती है। और उनमें पढ़ने संबंधी योग्यता का विकास होता जाता है। लिखने संबंधी कुशलता को विकसित करने हेतु भी विशेष उपकरणों की सहायता ली जाती है।

शुरू में उनका पाठ्क्रम इस तरह विकसित किया जाता है कि वे पढ़ने –लिखने एवं गिनती करने, सामान्य गणित की बातों को जानने तथा अपने पर्यावरण में समझने के योग्य बन सकें। धीरे –धीरे ब्रेल लिपि की पाठ्य– पुस्तकों से उन्हें विषयों के अधिक ज्ञान और समझ की ओर ले जाया जाता है। उनके पाठ्यक्रम तथा दिए जाने वाले अनुभवों मे विशेष तौर पर निम्न बातों को लक्ष्य बनाया जाता है–

- ये अपने दिन–प्रतिदिन के आवश्यक कार्यो को अपने आप कर सकें। अपने कार्य करने के स्थानों पर आ–जा सकें। जरूरत पड़ने पर सड़कों को पार कर सकें। इस दृष्टि से उन्हें बेंत के सहारे चलने , घूमने –फिरने आदि का विशेष प्रशिक्षण देने का प्रबंध किया जाता है।

- विशेष उपकरणों एवं क्रियाओं द्वारा उन्हें विभिन्न पाठांतर क्रियाओं हेतु भी प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जाती है। खेलकूद, व्यायाम तथा अभिनय आदि की शिक्षा और प्रशिक्षण देना इसी श्रेणी में आता हैं।
- अंधे बालकों में संगीत और कला के प्रति विशेष रूचि पाई जाती है इस दृष्टि से उनकी शिक्षा में संगीत विशेष और क्रियाओं को उचित स्थान को दिया जाना चाहिए। कला की बारीकियों को ये नेत्रों की अपेक्षा सुनने तथा स्पर्श करने आदि से अच्छी तरह से समझ सकते है। इसलिए इनके पाठ्यक्रम अनुभवों में श्रवण और स्पर्श इन्द्रियों के उपयोग और प्रशिक्षण से संबंधित क्रियाओं पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।
- इन्हें स्वावलंबी बनाने हेतु उद्योग क्रियाओं का प्रशिक्षण देना भी आवश्यक होता है। इस कार्य हेतु इनके पाठ्यक्रम में कार्य अनुभवों , बुनियादी उद्योगों से संबन्धित कुशलताओं को विकसित करने की उपयोगी क्रियाओं को अवश्य ही लिया जाना चाहिए । उचित प्रशिक्षण द्वारा न ये केवल टेलीफोन, बूथ संचालन जैसे आसान काम कर सकते हैं बल्कि कम्प्यूटर और दूसरी तरह के मशीनी उपकरणों का संचालन भी काफी अच्छी तरह से कर लेते हैं।

  अंधे बालकों की शिक्षा और समायोजन हेतु आज देश के लगभग सभी प्रांतों में सरकार तथा स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा विभिन्न अंध विद्यालय चल रहे हैं जिनसे लाभान्वित होकर बहुत से अंधे बालक न केवल आत्मनिर्भर ही हुए है बल्कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों तथा व्यवसायों में अपनी प्रतिभा का उपयोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनकी शिक्षा और समायोजन को ज्यादा से ज्यादा बेहतर बनाने के उदेश्य को लेकर अनुसंधान कार्य को बहुत प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इस तरह का राष्ट्रीय स्तर का अनुसंधान केन्द्र जिसे **''दृष्टि विकलांग राष्ट्रीय संस्थान'' (National Institute for the Visually Handicapped)** कहा जाता है, सन 1971 से देहरादून में कार्य कर रहा है। अंधे बालकों की शिक्षा एवं उनके समायोजन तथा शिक्षा प्राप्ति के बाद उनके व्यवस्थापन आदि बातों को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर बनाई

गई राष्ट्रीय अंध परिषद् **(National Association for the Blind)** भी बहुत अच्छा कार्य कर रही है इसकी देशभर में विभिन्न शाखाएँ है । जिनके आधार पर यह अंधे बालकों तथा व्यक्तियों की शिक्षा, समायोजन एवं व्यवस्थापन के कार्यों में संतोषजनक ढंग से सहायता करने का उत्तरदायित्व निभा रही है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. समावेशी शिक्षा – श्रीमति ए वरौलिया
   डॉ दीपिका पाराशर
2. विशिष्ट शिक्षा का प्रारूप – श्रीमति आर.के.शर्मा
   प्रो. एस. के दुबे
3. शिक्षा मनोविज्ञान की रूपरेखा – डॉ0 मालती सारस्वत
   डॉ0 मधुरिमा सिंह (आलोक प्रकाशन)
4. शिक्षा मनोविज्ञान – एस. के. मंगल